फा.सं. एन-11011/478/2017-एचएफए -4 (ई- 9021400)

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 22nd जनवरी, 2020

सेवा में

1 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि0, हुडको भवन, कोर -7 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

2 प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर -5 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003.

3 प्रबंध निदेशक (आर एंड डीबी), भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई -400021

विषय- "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सीएलएसएस लाभ प्राप्ति के लिए महिला लाभार्थी के समावेशन के संबंध में स्पष्टीकरण"

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम(सीएलएसएस) के तहत बाद में पात्र बनने के लिए घर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज/ बिक्री विलेख में महिला लाभार्थियों को शामिल करने के संबंध में कुछ प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)[पीएमएवाई(यू)] के दिशानिर्देश के अनुसार ईडब्ल्यूएस और एमआईजी श्रेणी के लिए सीएलएसएस संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है -

" 2.5 मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित/अधिगृहीत आवास परिवार की महिला मुखिया के नाम पर अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए,और परिवार में कोई बालिग महिला सदस्य नहीं होने पर आवास परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है। "

2. तथापि यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यह शर्त ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के अधीन नए निर्माण (विद्यमान भूखंड पर) या विद्यमान आवास के विस्तार/मरम्मत के मामले पर लागू नहीं होगी ।

3. इसे ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे मामले भी होंगे जिनमें मिशन अवधि के अंतर्गत ऋण लेने वाले विवाहित पुरूष ने अपने नाम पर नए आवास के अधिग्रहण/खरीद के लिए आवासीय ऋण प्राप्त किया है, तथापि बाद में ऋण लेने वाले पुरूष को आवास के मालिकाना हक विलेख/बिक्री विलेख

में परिवार के महिला सदस्य का नाम शामिल करने पर सीएलएसएस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पीएलआई द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई है ।

4. इसलिए ऐसा स्पष्ट किया जाता है कि ऋण लेने वाले व्यक्ति को सीएलएसएस लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ऋण लेने वाले पुरूष को पंजीकृत मालिकाना हक विलेख/बिक्री विलेख में महिला पारिवारिक सदस्य का नाम शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है जिससे वह प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) को आवाश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सके और तदनुसार पीएलआई द्वारा अपेक्षित सम्यक तत्परता के अनुसार आवास ऋण खाते पारिवारिक महिला सदस्य के नाम को भी जोड़ा जा सके ।

5. उपरोक्त के संदर्भ में, सबंधित पीएलआई को इस संबंध में आवश्यक पत्र भेजा जाए।

भवदीय

(ऋषि कुमार)
निदेशक (एचएफए-IV)

प्रतिलिपि -

प्रधान सचिव/सचिव, आवासन और शहरी विकास विभाग, सभी राज्य /संघ राज्य क्षेत्र।